जिला जल एवं स्वच्छता मिशन, पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा) के द्वारा जिला वासियों को संदेश

जिला जल एवं स्वच्छता मिशन, पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा) के जिलावासियों को स्वच्छ एवं स्वस्थ रहने की कामना के साथ अपील करता है कि :-

- जिले के सभी घरों में शौचालय का निर्माण एवं उसका व्यवहार हो। कोई भी महिला/पुरूष/बच्चे खुले में शौच न करें।
- प्रत्येक विद्यालय में बालक/बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था एवं व्यवहार हो।
- प्रत्येक आंगनबाड़ी में शौचालय की सुविधा एवं व्यवहार हो।

अतः सभी घरों मे शौचालय हो, इसके लिए बी.पी.एल. परिवारों को इस अभियान के तहत सरकार द्वारा 3200.00 रूपये सहयोग राशि तथा मात्र 300.00 रूपये लाभुक अंशदान पर 3500.00 रूपये का दो पीट वाले शौचालय का निर्माण कराया जा सकता है।

- समस्त प्रकार के कूड़े-कचरे एवं दूषित जल की सही निकासी एवं साफ सुथरा वातावरण हो.
- लोग खाना बनाने से पहले, खाना परोसने, खाना खाने से पहले, शौच से आने के बाद एवं छोटे बच्चों का शौच धोने के बाद हाथ साबुन या राख से धोएं.
- चापाकल का ही पानी पीना एवं पेयजल स्रोत के आसपास सफाई एवं उचित रख-रखाव करना.
- पीने के पानी को सुरक्षित जमीन से कुछ उपर एवं ढक कर रखें, पानी निकालने के लिए डंडी वाले लोटे का प्रयोग करें.
- तालाब/कुंआ/नदी/खुले स्थान का पानी न पीएं।
- ग्राम सभा द्वारा प्रत्येक ग्राम में ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया जा रहा है जिसमें कुल 9 सदस्य होंगे. ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति में अनिवार्य रूप से गांव की एक महिला सदस्य होगी. जिसे जल सहिया के रूप में जाना जाएगा. ग्राम की जल सहिया की महत्वपूर्ण भूमिका पेयजल एवं स्वच्छता के कार्यक्रमों में होगी. जिस गाँव में समिति का गठन नहीं होगा, भविष्य में पेयजल/स्वच्छता की कोई योजना स्वीकृत नहीं होगी.
- खुले में शौच करना एक दंडनीय अपराध है।
- स्वच्छता से रोगों में 80% कमी तथा स्वास्थ्य व पोषण का स्तर उत्तम होता है।

कार्यपालक अभियंता सह सदस्य सचिव
जिला जल एवं स्वच्छता मिशन
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा

उपायुक्त सह अध्यक्ष
जिला जल एवं स्वच्छता मिशन
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा

पत्रांक 1625/चाईबासा दिनांक 07.09.2011